इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं.–15, 6ठी मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002 **शाखा कार्यालय :** प्लॉट नं. 95, पहली मंजिल, सनशाइन बिल्डिंग, नाथ प्रांगण सोसायटी, महाराष्ट्र बैंक के पास, शिवाजी नगर रोड, गरखेडा, औरंगाबाद–431005

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की तिथि के 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी और संपत्ति / जमानती के मालिक को बुलाने के लिए यहां के बाद वर्णित अनुसार खाते के लिए वर्णित तिथि पर मांग सूचना जारी की थी। चूंकि संपत्ति के स्वामी और अन्य राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा वर्णित ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के लिए वर्णित तिथियों पर उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति / यों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अब विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति / यों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति / यों के साथ किया गया कोई भी लेन–देन उसपर ब्याज, लागत आदि और नीचे वर्णित अनुसार राशि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	ऋणी / गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी) ऋण खाता संख्या	प्रभारित / गिरवी संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भाग व पार्सल के सहित)	मांग सूचना तिथि, मांग सूचना की तिथि तक देय राशि	भौतिक कब्जे की तिथि
1	**श्री / श्रीमती मनीषा शर्मा व श्री / श्रीमती अजय शर्मा** पता : ई / 26 लघ कुश आवास विहार सेक्टर–ई, वाटर टैंक के पास इंदौर मध्य प्रदेश 452010 ऋण खाता : HL45CHL ONS0000050341 47	प्लॉट नं. 1–8, महाराजा प्रताप नगर, तहसील व जिला इंदौर म.प्र. के सभी भाग व पार्सल, कुल क्षेत्र 420.00 वर्ग फुट संपत्ति निम्नानुसार : पूर्व : गली, पश्चिम : रोड, उत्तर : साहू जी का मकान, दक्षिण : प्रजापति का मकान	मांग सूचना तिथि 22.06.2022 रु. 10,31,850 / – (रुपए दस लाख इकतीस हजार आठ सौ पचास केवल) 16.06.2022 तक 17.06.2022 से ब्याज के सहित और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्कों व लागत	27.06.2024

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 04.07.2024 **(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.**

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री अविनाश कुमार पांडे – 97534 40180), श्री दिलीप सिंह भानेस (9111191387) श्री अमित शर्मा (9770873777) से संपर्क करें

एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
SJVN Green Energy Limited

(A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited)
CIN: U40100HP2022GOI009237

ई–निविदा सं.: SGEL/CHQ/Contracts/BoS-MH/SPP/2024

SGEL के द्वारा "महाराष्ट्र में चार विभिन्न स्थानों पर कुल 400 मेगावाट (AC) (एमएसईडीसीएल फेज VII एवं IX) के चार सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बैलेंस ऑफ सिस्टम पैकेज, पावर की निकासी एवं तीन (03) वर्ष के व्यापक परिचालन और रखरखाव" के लिए निविदा दस्तावेज में कुछ संशोधन किए गए हैं। विस्तृत विवरणों के लिए वेबसाइट **https://www.bharat-electronictender.com, www.eprocure.gov.in** एवं **www.sjvn.nic.in** को देखें। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **18.07.2024 (14:00 बजे)** है।

संशोधन यदि कोई हो, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर जारी किए जाएंगे।

उप महाप्रबंधक (संविदा)
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
कॉर्पोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शानन, शिमला (हि.प्र.)
ई–मेल: contracts.sgel@sjvn.nic.in

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजी. कार्या. : पहली मंजिल, 102 व 103, स्टर्लिंग एरकेड, प्लॉट नं. 15 / 3 रेस कोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश पिनकोड 452001
शाखा कार्यालय : दूसरी मंजिल, पामेचा कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास मंदसौर, मध्य प्रदेश, पिनकोड 458001

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों व व्ययों के सहित उक्त सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित ऋणियों को बुलाने के लिए यहां वर्णित अनुसार ऋणी / यों को मांग सूचना जारी की थी। उक्त ऋणियों / सह–ऋणियों राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणियों / सह–ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन संबंधित तिथि से भावी ब्याज, लागत व शुल्कों के सहित उसमें वर्णित राशि के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी और सह–ऋणी, नीचे अधिसूचित संपत्ति, ऋण खाता संख्या, यूआईसी नं., बकाया देयों, मांग व कब्जा सूचना की तिथि, सूचना का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

(1) ऋणी व सह–ऋणी : 1. (ए) सनकेश्वर सारीज निवासी मैसर्स संकेश्वर सारीज 1– फ्लोर सम्राट मार्किट मंदसौर मंदसौर–458001 मध्य प्रदेश और अनय पता प्लॉट नं. 17 व 18 (ए–2), वार्ड नं. 3, साकेत नगर के पास, (टलेरा कॉलोनी के पास) कस्बा, मंदसौर–458001 (बी) अंजना जैन निवासी मकान नं. 2 साकेत नगर वार्ड नं. 6 मंदसौर मंदसौर 458001 मध्य प्रदेश (सी) श्याम कुमार जैन निवासी मकान नं. 2 साकेत नगर वार्ड नं. 6 मंदसौर मंदसौर 458001 मध्य प्रदेश (डी) अक्षय जैन निवासी मकान नं. 2 साकेत नगर वार्ड नं. 6 मंदसौर मंदसौर 458001 मध्य प्रदेश **(2) ऋण खाता संख्या :** 7676650,16428625 **(3) ऋण राशि रु. में :** रु. 2850000 / – (रुपए छब्बीस लाख पचास हजार केवल) ऋण खाता संख्या 7676650 और रु. 511900 / – (रुपए पांच लाख ग्यारह हजार नौ सौ) के **ऋण खाता संख्या 16428625 (4) प्रतिभूति गिरवी संपत्ति का विस्तृत विवरण :** संपत्ति के सभी भाग व पार्सल, भूमि भाग एलएसएन 417, 420, 453 व 455 के भूमि भाग, प्लॉट नं. 17 व 18 भाग 2 वार्ड नं0 03 साकेत नगर, मंदसौर, मध्य प्रदेश–458001 में स्थित संपत्ति क्षेत्र माप 1000 वर्ग फुट बिक्री डीड के अनुसार वर्णित संपत्ति की सीमाएं – उत्तर : सेलर की कृषि भूमि, दक्षिण : रोड, पूर्व – प्लॉट नं. 17 का भाग, पश्चिम : प्लॉट नं. 18 का भाग **(5) मांग सूचना तिथि** : 16.04.2024 **(6) देय राशि रु. में :** रु. 2811629.89 (रुपए अठाईस लाख ग्यारह हजार छह सौ उनतीस व नवासी पैसे केवल) 10.04.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी अनुबंध ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत व शुल्कों आदि के सहित **(7) कब्जा तिथि :** 27.06.2024

(2) ऋणी व सह–ऋणी : 1. (ए) श्री भोले दूध डेयरी निवासी उकाला रोड गणेश मंदिर के पास, रतलाम 457001 मध्य प्रदेश और सर्वे नं. 1065 / 4, 1065 / 5, 1085 / 6, आवासीय मकान प्लॉट नं. 145, 146 व प्लॉट नं. 147 के भाग पर निर्मित, करवा रतलाम–457001 और सर्वे नं. 995 / 1 / 2 वार्ड नं. 27 करवा रतलाम उनकला माता मेन मार्ग दिलीप नगर रतलाम जिला रतलाम रतलाम 457001 (बी) भारती पाटीदार निवासी 20 उनकला रोड भोले दूध डेयरी रतलाम मध्य प्रदेश 457001 (सी) पुष्पा पाटीदार निवासी 20 उनकला रोड भोले दूध डेयरी रतलाम मध्य प्रदेश 457001 (डी) नरेंद्र कुमार पाटीदार निवासी 20 उनकला रोड भोले दूध डेयरी रतलाम मध्य प्रदेश 457001 (ई) आशीष पाटीदार निवासी श्री भोले दूध डेयरी एकाला रोड गणेश मंदिर रतलाम मध्य प्रदेश 457001 **(2) ऋण खाता संख्या : 211982169 (3) ऋण राशि रु. में :** रु. 7600000 / – (रुपए छियत्तर लाख केवल) **(4) प्रतिभूति गिरवी संपत्ति का विस्तृत विवरण :** संपत्ति बियरिंग ए सर्वे नं. 1064 / 4, 1065 / 5, 1065 / 6 आवासीय मकान प्लॉट नं. 145 व 146 व प्लॉट नं. 147 के भाग पर निर्मित, करवा रतलाम समता परिसर कॉलोनी जिला रतलाम के सभी भाग व पार्सल, कुल क्षेत्र 1600 वर्ग फुट बिक्री डीड के अनुसार वर्णित संपत्ति की सीमाएं – उत्तर : प्लॉट नं. 147 का शेष भाग दक्षिण :प्लॉट नं. 144, पूर्व – रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. 118, 119 व 120 **(5) मांग सूचना तिथि** : 16.04.2024 **(6) देय राशि रु. में :** रु. 7495753 / – (रुपए चौहत्तर लाख पिचानवे हजार सात सौ तिरपन पैसे केवल) 10.04.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी अनुबंध ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत व शुल्कों आदि के सहित **(7) कब्जा तिथि :** 27.06.2024

1. ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। किसी विरोध व सेटलमेंट के लिए कृपया संपर्क करें : श्री वैभव बक्शी संपर्क सं. 8966007476 (कलेक्शन मैनेजर) श्री श्याम तेलंग : संपर्क नं. 9970061659 (जोनल कलेक्शन मैनेजर) व श्री गौव प्रासून्न नाइक : संपर्क सं. 7587748188 (लीगल एसोसिएट), एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इंदौर (म.प्र.)

स्थानः रतलाम(म.प्र.) **हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 04.07.2024 **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय–पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय III की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों / सह–कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किस्तों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूल्यधन की किस्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठनीय एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार का नाम / पता	ऑर्डर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	HOU/GRP/0615/225909, बी.ओ. ग्रीन पार्क	सजल ओझा और रूपा ओझा **पता:1–** 157 / 8 डॉ. जुगियर घर रोड, आदर्श नगर, उत्तर कलकत्ता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल –700028. **पता:2–** 10वीं मंजिल, 4ए पीएस आर्केडिया, सेंट्रल कैमक स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700028. **पता:3–** 108, प्रथम तल, ब्लॉक–9, ऑपल ओरिस, ग्राम मिसरोद, द. हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश–462001.	NA	106, प्रथम तल, ब्लॉक–9, ऑपल ओरिस, ग्राम मिसरोद, हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश–462001.	13.06.2024	**10.06.2024 तक रु. 4528810.41 / –** (रुपये पैंतालीस लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ दस और इकतालीस पैसे मात्र)

स्थान : भोपाल, दिनांकित : 04-07-2024 प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वी मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई 400 028. दूरभाष 022-69231111, ई-मेल आईडी: mumbai@omkaraarc.com

[परिशिष्ट-IV-A] [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ई-नीलामी की तिथि : 2 अगस्त, 2024

प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं सह-कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की बिक्री बकाया राशि की वसूली के लिए 02-08-2024 को सुबह 11.00 बजे (बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 01-08-2024 को शाम 4.00 बजे तक है) सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) और 13(4) के प्रावधान के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" और "आक्षेप रहित" के आधार पर की जायेगी।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट (ओए/आरपीएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) से अंतर्निहित प्रतिभूति के साथ दिनांक 26 फरवरी 2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से उपरोक्त कर्जदार और सह-कर्जदार के खिलाफ पड़े संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, ओए/आरपीएल ने मूल प्रतिभूत लेनदार एफआईसीसीएल के स्थान पर आ गया है, और बकाया राशि वसूलने और प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने का हकदार बन गया है।

कर्जदार और सह-कर्जदार का विवरण और नीचे उल्लिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से ओए/आरपीएल को देय ब्याज और व्यय के साथ बकाया राशि और अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि और ज्ञात ऋणभार (यदि कोई हो) निम्नानुसार हैं: -

ऋण खाते का विवरण	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
1. श्री राजेश कुमार सुखवानी (कर्जदार) 2. श्रीमती हेमा सुखवानी (सह-कर्जदार)	प्लॉट क्रमांक बी-125 का समस्त भाग, प्लॉट क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट, राजस्व सर्वे क्रमांक 11/2 की भूमि का हिस्सा, ग्राम बाजरिया कला, महाकाली वृद्ध निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), स्वामित्व श्रीमती हेमा सुखवानी और राजेश कुमार सुखवानी के पास है।	रु. 91,55,000/- (रुपये इक्यानवे लाख पचपन हजार मात्र)	रु. 9,15,500/- (रुपये नौ लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र)	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)

बकाया राशि	रु. 84,15,171/- तथा भुगतान की तारीख तक सभी बकाया राशि की वसूली तक भावी ब्याज और खर्चे। (दिनांक 03 जून 2022 के मांग सूचना के अनुसार)
कब्जे की स्थिति	03-04-2024 को ओए/आरपीएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा लिया गया
निरीक्षण की तिथि	31 जुलाई, 2024 को 12 बजे अप. से 1 बजे अप. के बीच
भागीदारी के लिए बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	01 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे तक ओए/आरपीएल के शाखा कार्यालय में बी-210, अंसल चैंबर 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 पर या ईमेल आईडी:- ankur.rastogi@omkaraarc.com/nirmal.singh@omkaraarc.com पर संपर्क करें। इसके अलावा, आप ओए/आरपीएल अधिकारियों से 8218904686/7219995444 पर संपर्क कर सकते हैं।
कोई ऋण भार	ज्ञात नहीं
कोई अन्य प्रासंगिक सूचना	सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, www.omkaraarc.com / http://omkaraarc.com/auction.php या www.bankeauctions.com देखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी।

दिनांक : 02.07.2024 **अधिकृत प्राधिकारी, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)**

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएआरबी–नई दिल्ली, द्वितीय तल, आत्मा राम भवन, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001
वेबसाइट – www.sidbi.in

डिमांड नोटिस

[(सरफेसी अधिनियम 2002) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत]

उधारकर्ता नामतः मैसर्स विंध्य वासिनी मेटल्स ने शाखा कार्यालय : भोपाल के माध्यम से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण सुविधायें / ऋण प्राप्त किये थे। ऋण सुविधायें / ऋण यहां नीचे अनुसूची में उल्लिखित बंधन एवं दृष्टिबंधन के माध्यम से विधिवत प्रतिभूत किये गये हैं। चूंकि ऋणकर्तागण ऋणकरार की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और उन्होंने समय पर ऋण की चुकौती करने में चूक की है और बकाया राशियों के भुगतान में अनियमितता प्रदर्शित की है, इसलिये उनके ऋणों को आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार 21 अगस्त 2023 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत देय कुल बकाया ऋण और सिडबी के पास प्रभारित / बंधककृत / दृष्टिबंधककृत प्रतिभूतियों का उल्लेखन निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उसी बकाया राशि पर लागू भावी ब्याज भी देया होगा जो और यह ऋण मंजूरी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित तिथियों से प्रभावी होगा।

क्रम सं.	उधारकर्ताओं / गारंटीकर्ताओं / बंधककर्ताओं के नाम पूरे पते के साथ	बकाया ऋण राशि तथा 10/06/2024 के अनुसार लागू ब्याज	अनुसूची – बंधककृत संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण
1	**मैसर्स विंध्य वासिनी मेटल्स, (अनादि मिश्रा की स्वामित्व वाली कंपनी) प्लॉट नं. 47, पीपलखिरिया औद्योगिक क्षेत्र रायसेन म. प्र. – 464551, इसके अलावा :– सतगुरु कोट गेट के पास, ग्राम चोपड़ा, भोपाल–462010 (उधारकर्ता / दृष्टिबंधककर्ता)**	रु. 4,32,28,905.41	1. सिडबी के पक्ष में साम्यिक बंधक के माध्यम से प्लॉट नं. 47 पर स्थित 1400 वर्ग मीटर भूमि के सभी भाग और हिस्से, जो कि पीपलखिरिया औद्योगिक क्षेत्र, रायसेन–462046 में स्थित है तथा उस पर निर्मित/से जुड़े सभी भवनों और संरचनाओं पर प्रथम प्रभार। 2. सर्वे क्रमांक 483/6/1, क्षेत्रफल 3.00 एकड़ या 1.214 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 483/5/1, क्षेत्रफल 0.810 हेक्टेयर या 2.00 एकड़, सर्वे क्रमांक 483/6/2, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर या 1.00 एकड़, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.428 हेक्टेयर या 6.00 एकड़ की ग्राम सेमली जदीद, पटवारी हल्का नंबर 55, तहसील– इछावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थित सभी भूमि के भाग एवं हिस्से वाणिज्यिक व्यपवर्तित भूमि का सिडबी के पक्ष में न्यायसंगत बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार। 3. सर्वे क्रमांक 483/7, क्षेत्रफल 2.67 एकड़ 1.080 हेक्टेयर, ग्राम सेमली जदीद, पटवारी हल्का नं. 55, तहसील लखवार, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थित वाणिज्यिक व्यपवर्तित भूमि के सभी भाग एवं हिस्से तथा उस पर निर्मित/ से जुड़े सभी भवन और संरचनाएं तथा धरती से जुड़े या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़े संयंत्र और मशीनरी सिडबी के पक्ष में साम्यिक बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार। 4. ऋण समझौते में वर्णित ऋणी की परियोजना से संबंधित ऋणी की सभी चल संपत्तियों, वर्तमान परिसंपत्तियों और प्लॉट नं. 47, औद्योगिक क्षेत्र पीपलखिरिया, रायसेन में स्थित सभी चल संपत्तियों, संयंत्र, मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर और जुड़नार, और अन्य सभी चल संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों (बही ऋणों को छोड़कर) सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सिडबी के पक्ष में दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार।
2	**श्री अनादि मिश्रा, ए–58, एक्सोटिका विलाज, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, म. प्र.–462030, इसके अलावा :– मकान नं.–100, शंकराचार्य फ्लावर सिटी, बाग मुगलिया, भोपाल म. प्र. – 462043, इसके अलावा :– प्लॉट नं. 47, पीपलखिरिया औद्योगिक क्षेत्र, रायसेन, म. प्र. – 464551 (बंधककर्ता / गारंटरीकर्ता / दृष्टिबंधककर्ता)**		
3	**श्रीमती किरण मिश्रा मकान नं. 100, शंकराचार्य फ्लावर सिटी, बाग मुगलिया, भोपाल, म. प्र.–462013, इसके अलावा :– ए–58, एक्सोटिका विला, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म. प्र.)–462030, इसके अलावा :– प्लॉट नं. 47, पीपलखिरिया औद्योगिक क्षेत्र, रायसेन, म. प्र. – 464551 (बंधककर्ता / गारंटरीकर्ता)**		

उधारकर्ता / गारंटरीकर्ताओं / बंधककर्ताओं / दृष्टिबंधककर्ताओं द्वारा दिए गए पतों पर प्रेषित दिनांक 13/06/2024 की डिमांड नोटिस बिना प्राप्त हुये ही वापस हो गयी है। अतः ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटरीकर्ताओं / बंधककर्ताओं / दृष्टिबंधककर्ताओं से अनुरोध किया जाता है और सिडबी आप सभी से मांग करता है कि उपरोक्त बकाया ऋण राशि और सिडबी को देय लागू ब्याज का भुगतान उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार, संबंधित तिथियों से राशि पर अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों एवं प्रभारों आदि के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, बैंक को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधककृत एवं दृष्टिबंधककृत संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्ति के प्रति सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होंगे। उधारकर्ता / गारंटरीकर्ता /दृष्टिबंधककर्ता/ बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में ऋणकर्ताओं के पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस सूचना के प्रकाशन के उपरांत, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के निबंधनों के अनुसार, उधारकर्ता / गारंटरीकर्ताओं / दृष्टिबंधककर्ता / बंधककर्ताओं को सिडबी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित तथा निषेधित किया जाता है।

हस्ता / –
स्थान : सिडबी, नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 04 / 07 / 2024 **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

AXIS BANK LIMITED

खुदरा ऋणप्रदायक एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एक्सिस बैंक लिमिटेड–आरएसी, तृतीय तल, धन ट्राइडेंट, पीयू–4, ब्लॉक–बी, मेट्रो टॉवर के समीप, इंदौर – 452001

मांग सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम (3) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत)

जबकि, आपके अनुरोध पर, निम्न उल्लिखित व्यक्ति(यों) को बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजन करके विभिन्न परिसंपत्तियों के समक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से समय–समय पर विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजनकारिता के स्वामित्व विलेख जमा करके आपके द्वारा बंधककृत संपत्ति(यों) के विवरण, यहां नीचे वर्णित दिये गये हैं। चूंकि आप बैंक का बकाया ऋण चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए आपके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जनकारी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि बैंक का बकाया ऋण चुकाने का आह्वान करने वाली मांग सूचनायें जो पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गयी थीं उन्हें डाकीय विभाग द्वारा वापस कर दिया गया है, तथा इसीलिये यह सूचना निर्गत की गयी है।

| क्र. सं. | आवेदक / सह–आवेदक / गारंटरों के नाम / खाता सं. | देनदारी रु. में | सांकेतिक बंधक हेतु